न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर

हरलाल **बनाम** **गणपतराम आदि**

किस्म मुकदमा...........दावा.................. मुकदमा नं.:— 2024/415

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
17.09.2025	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण में उभयपक्षकारान ने राजीनामा किया गया। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार कृषि भूमि खसरा नं0 173, 174, 175, 176, 177, 178, कुल किता 6 कुल रकबा 1.25 है0 तथा भूमि खसरा नं0 391, 392, 393, 394, 395, 396, 634/267, 635/267 कुल किता 8 कुल रकबा 12.053 है0 वाकै ग्राम भवानीपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमियों में से खसरा नं0 173 लगायत 177 तथा खसरा नं0 391 लगायत 396, 634/267, 635/267 पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा तथा भूमि खसरा नं0 178 पर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 ता 33 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा। उक्त वर्णित हक हिस्से अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में सदैव से खातेदारी हक हिस्सा गलत रूप से दर्ज हो गया जिसको वादी व प्रतिवादीगण बरूये राजीनामा आपसी सहमति से उक्त वर्णित हक हिस्से अनुसार भूमिया अपने—अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है जिसमें किसी भी पक्षकार का कोई उज्र आपत्ति नही है। प्रकरण में पक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है तथा राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने पर जरिये अधिवक्ता व स्वयं उपस्थित होकर सहमति जताई है। राजीनामा तस्दीक किया गया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम भवानीपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील धोद जिला सीकर की भूमि खसरा नं0 173 लगायत 177 कुल किता 5 कुल रकबा 0.88 है0 तथा भूमि खसरा नं0 391 लगायत 396, 634/267, 635/267 कुल किता 8 कुल रकबा 12.53 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर भूमि खसरा नं0 173 लगायत 177 कुल किता 5 कुल रकबा 0.88 है0 में से प्रतिवादी संख्या 33 को 1/6 भाग का तथा भूमि खसरा नं0 391 लगायत 396, 634/267, 635/267 कुल किता 8 कुल रकबा 12.53 है0 में से वादी व प्रतिवादी संख्या 26 व 27 प्रत्येक को 1/18—1/18 हिस्से का खातेदार, प्रतिवादी संख्या 10 व 11 प्रत्येक को 1/27—1/27 हिस्से का खातेदार, प्रतिवादी संख्या 15, 17, 18, व 19 को संयुक्त रूप से कुल 1/27 हिस्से का खातेदार, प्रतिवादी संख्या 20, 21, व 22 प्रत्येक को 1/27—1/27 हिस्से का खातेदार, प्रतिवादी संख्या 23 को 1/9 हिस्से का खातेदार, प्रतिवादी संख्या 24 व 25 को प्रत्येक को 1/6—1/6 हिस्से का खातेदार, प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 32 प्रत्येक को	(मुहर: सहायक कलक्टर ... सीकर) सहायक कलक्टर II सीकर

1/30–30 हिस्से का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है। ग्राम भवानीपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील धोद जिला सीकर की भूमि खसरा नं0 178 रकबा 0.37 है0 में से प्रतिवादीगण संख्या 10, 11, 15, 17 लगायत 33 का नाम हजफ किया जाकर खसरा नं0 178 सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2/2, व 2/3 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार, तथा प्रतिवादी संख्या 3 में से 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर

सहायक कलक्टर II
सीकर

निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर

सहायक कलक्टर II
सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर